सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-3439/JH/235/2025-RU-IV

दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला-साहेबगंज,
उपायुक्त कार्यालय, कलेक्टरियेट बिल्डिंग,
साहेबगंज, झारखंड 816109
ई-मेल: dc-sah@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
साहेबगंज,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
साहेबगंज, झारखंड 816109
ई-मेल: sp-sahebganj@jhpolice.gov.in

विषय: **संथाल समुदाय के प्रथागत कानूनों को दरकिनार करते हुए फर्जी वंशावली के आधार पर पुश्तैनी भूखंड़ों (अंचल संपति) को अधिकार क्षेत्र से बाहर करने संबंधी आदेश को रद्द करने के संबंध में – श्री कालदा सोरेन पिता- स्व.बड़का सोरेन, मौजा-सनमनी, थाना तथा अंचल-बरहेट जिला-साहेबगंज (झारखंड) का 16.12.2025 का पत्र ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

प्रवीण 16.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:
श्री कालदा सोरेन,
पिता-स्व.बड़का सोरेन,
मौजा-सनमनी, थाना तथा अंचल-बरहेट,
जिला-साहेबगंज (झारखंड) - 816102,
Mobile No: 7645001465

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-3439/JH/235/2025-RU-IV

अभ्यावेदक श्री कालदा सोरेन, पिता-स्व. बड़का सोरेन, मौजा-सनमनी, थाना एवं अंचल-बरहेट, जिला-साहेबगंज (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन, संथाल समुदाय के प्रथागत कानूनों को दरकिनार करते हुए फर्जी वंशावली के आधार पर पुश्तैनी भूखंडों (अंचल संपत्ति) को अधिकार क्षेत्र से बाहर करने संबंधी आदेश को निरस्त करने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदक श्री कालदा सोरेन, पिता-स्व. बड़का सोरेन, मौजा-सनमनी, थाना एवं अंचल-बरहेट, जिला-साहेबगंज (झारखंड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि संथाल समुदाय के प्रथागत कानूनों एवं पारंपरिक अधिकारों की उपेक्षा करते हुए फर्जी वंशावली के आधार पर उनके पुश्तैनी भूखंडों (अंचल संपत्ति) को अधिकार क्षेत्र से बाहर करने संबंधी आदेश अपर उपायुक्त द्वारा पारित किया गया है। अभ्यावेदक ने आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि उक्त आदेश से उनके पुश्तैनी भूमि अधिकार प्रभावित हुए हैं तथा प्रकरण में भू-अभिलेखों एवं वंशावली से संबंधित तथ्यों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अभ्यावेदक ने आयोग से अनुरोध किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच हेतु विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर स्थल निरीक्षण एवं भू-अभिलेखों की सत्यता की जांच कराई जाए, ताकि संबंधित वंशावली के लोगों को न्याय प्राप्त हो सके।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 19.01.2026 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला-साहेबगंज (झारखंड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (ADC), साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), साहेबगंज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अवगत कराया कि अभ्यावेदक द्वारा फर्जी वंशावली के आधार पर पुश्तैनी भूमि से वंचित किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जांच कर प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि विवादित भूमि से संबंधित आर०ई० वाद सं०-33/2012-13 में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा तथा आर०एम०ए० वाद सं०-19/2018-19 में मानसिंह मरांडी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। न्यायालय के आदेश के आलोक में अधिकांश भूमि का दखल-दिहानी मानसिंह मरांडी के पक्ष में कराया जा चुका है तथा शेष कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों के अनुसार, उपलब्ध अभिलेखों एवं न्यायालयों के आदेशों से अभ्यावेदक के आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट नहीं होते हैं।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

i. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में सक्षम राजस्व न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है तथा यह अनुसूचित जनजाति समुदाय के दो पक्षों के मध्य भूमि विवाद का मामला है। अतः आयोग इस प्रकरण में आगे कोई

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझता और प्रकरण को बंद करता है। तथापि, जिला प्रशासन न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करे।

ii. सुनवाई में प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi